राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/ e-mail: innovation.cceraj@gmail.com Ph.: 0141-2706847 (O);

पत्रांक : CCE/ISDC/Skill/MMYKY/2020-21/151; दिनांक : 01st January 2021

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

नव वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामानाएं।
आप सभी स्वस्थ, प्रसन्न, निरोगी एवं सुखी रहें।

विषय : मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना 2.0 में विद्यार्थियों के प्रवेश के संबंध में।

सन्दर्भ : पत्रांक : CCE/ISDC/Skill/MMYKY/2020-21/140; दिनांक : 31st Dec. 2020 के कम में।

राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों में रोजगारोन्मुख कौशल प्रशिक्षण एवं दक्षता हेतु राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (RSLDC) द्वारा कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान के संयुक्त तत्वावधान में गत सत्र 2019—20 कौशल विकास कार्यक्रम **मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना (MMYKY)** आरम्भ की थी। इस योजना को इस सत्र 2020—21 के लिये भी अनुमत कर आरम्भ कर दिया गया है। इस संबंध में पत्रांक : CCE/ISDC/Skill/MMYKY/2020-21/140; दिनांक 31 दिसम्बर 2020 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देया भी जारी किये जा चुके हैं।

इस संबंध में यह भी स्पष्टतः उल्लेखित है कि –

1. इस **मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना (MMYKY)** में अन्य निर्देशों के साथ साथ ध्यान दें कि इस योजनान्तर्गत केवल स्नातक भाग द्वितीय, तृतीय तथा स्नातकोत्तर भाग पूर्वार्द्ध एवं उत्तरार्द्ध के विद्यार्थी ही प्रवेश हेतु आवेदन के पात्र हैं। इस मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना के अन्तर्गत संचालित होने वाले रोजगारोन्मुख कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिये स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थी अवोदन के पात्र नहीं होंगे।
2. रोजगारोन्मुख कौशल प्रशिक्षण संबंधी अन्य योजनाओं यथा बजट घोषणा 2020—21 के बिन्दु कम 101 पर घोषित कौशल विकास कार्यक्रम Skill Enhancement and Employability Training (SEET) के अन्तर्गत महाविद्यालयों में संचालित कौशल प्रशिक्षण कार्यकमों (सन्दर्भ आदेश कमांक CCE/ISDC/Skill DEv./2020/119; दिनांक 10 नवम्बर 2020) के अन्तर्गत महाविद्यालयों में स्नातक प्रथम वर्ष सहित अध्ययनरत सभी विद्यार्थी प्रवेश के पात्र हैं।
3. विद्यार्थियों को इन प्रशिक्षण पाठ्यकमों में प्रवेश के लिये नीचे दी गई लिंक पर जाकर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किये बिना इन पाठ्यकमों में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

https://forms.gle/Z3BvfsfY9xe4vFuH9

इस लिंक पर सीधे ही RSLDC की Website पर जाकर भी पहुंचा जा सकता है।

4. **इन कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अन्तिम तिथि दिनांक 15 जनवरी 2021 है। इसके पश्चात यह रजिस्ट्रेशन लिंक स्वतः बन्द कर दी जायेगी।** अतः दिनांक 15 जनवरी 2021 के उपरान्त इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
5. इन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये आधार नम्बर आवश्यक है। **जो विद्यार्थी RSLDC द्वारा पूर्व में आयोजित किसी प्रशिक्षण में भाग ले चुके हैं अथवा पंजीकृत हो चुके हैं, वे पुनः इन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे। एक विद्यार्थी/व्यक्ति RSLDC द्वारा संचालित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में एक ही बार भाग ले सकता है।**
6. **विद्यार्थियों द्वारा इस संबंध में कियी प्रकार की जानकारी चाहने अथवा उनके मार्गदर्शन के लिये महाविद्यालय स्तर पर गठित नवाचार एंव कौशल प्रकोष्ठ को निर्देशित करें।**
7. इन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के संबंध में किसी प्रकार के मार्गदर्शन अथवा सहायता हेतु **RSLDC में इस योजना की समन्वयक सुश्री असमा नाज** से उनके **मोबाइल नम्बर 7726007917** पर कार्यालय समय में सम्पर्क कर सकते हैं।
8. योजना के संबंध में महाविद्यालयों को किसी प्रकार की सहायता अथवा मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर कार्यालय समय में आयुक्तालय के नवाचार एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ के निम्नलिखित अधिकारियों से सम्पर्क कर सकते है –

1. **डॉ. विनोद कुमार भारद्वाज**	: प्रभारी अधिकारी नवा. एवं कौशल विकास	**9414304650**
2. **डॉ. विश्राम मीना**	: सहा. आचार्य, नवा. एवं कौशल विकास	**9950373686**

बी. एल. गोयल, RAS
अतिरिक्त आयुक्त

पत्रांकः CCE/ISDC/ Skill/MMYKY/2020-21/152-55 ; दिनांकः 01 जनवरी2021
सूचनार्थ प्रतिलिपिः

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा, राजस्थान।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकि शिक्षा, राजस्थान।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम एवं कौशल, एवं अध्यक्ष, RSLDC, राजस्थान ।
4. श्रीमान प्रबंध निदेशक, RSLDC, राजस्थान ।
5. निजी सचिव, आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त संयूक्त निदेशक, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
8. समस्त प्रभारी अधिकारीगण, कॉलेज समूह, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान को निर्देशानुसार अपने संबंधित महाविद्यालयों को सूचित/साझा करने हेतु।
9. समस्त क्षेत्रीय सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यलय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान को निर्देशानुसार उनके संबंधित सम्भागों में महाविद्यालयों को सूचित/साझा करने हेतु।
10. वैब प्रभारी, आकाशि को वैबसाइट पर अपलोड करने एवं संबंधितों को ई–मेल करने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

01/01/2021

डा. विनोद कुमार भारद्वाज
प्रभारी अधिकारी,
नवाचार एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ